न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

SC/ST Case No.- 04/2020
Pipra P.S. Case No. 16/2020

19/08/2023

अभिलेख आज संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि है कि प्रस्तुत वाद सूचिका सुदनी देवी के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. कमल साह, 2. राम विलास साह, 3. सर्वेस कुमार साह के विरूद्व धारा 341, 323, 307, 379, 427, 447, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. राम विलास साह एवं 2. सर्वेस कुमार साह को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए नामजद अभियुक्त कमल साह के विरूद्ध धारा 341, 323, 427, 504 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 118/2020 दिनांक 30/06/2020 समर्पित किया गया।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका 6, 7, 20 एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से प्राथमिकी की कंडिका 07 में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही वास्ते अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः प्राथमिकी की कंडिका 07 में वर्णित **अभियुक्तों 1. कमल साह, 2. राम विलास साह, 3. सर्वेस कुमार साह के विरूद्व धारा 341, 323, 427, 504, 506 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों की उपरिथति वास्ते सम्मन निर्गत करें। दिनांक 18/10/23 उपस्थिति वास्ते।

Nishi Kant Thakur
19/8/23

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल